59 (6) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के तारीख 19 मई, 1998 के कार्या.ज्ञा. सं. 18(6)/98जी एम – जीएल–002 का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में सरकार का निर्णय सभी उपक्रमों के लिए आबद्धकारी है। यदि कोई प्रशासनिक मंत्रालय या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अपने कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति की आयु को बढ़ाना नहीं चाहता है तो उसे पूर्वोक्त निर्णय लागू न करने के लिए विशेष छूट लेनी आवश्यक होगी।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय पर ध्यान दें और अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपयुक्त परामर्श दें।

(डी पी ई के 21 अगस्त, 1998 का का.ज्ञा.सं. 18(9)/98–जीएम)